192/2018

मुनीर खॉ बनाम मोहम्मद अली

01.04.22 पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में फरीकेन का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है।इस कारण अपीलांट् अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते है। अपीलांट् अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 17–05–2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट् इस आधार पर अपील विड्रा करना चाहते है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अन्य भूमि प्राप्त होने के आधार पर विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट् की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर